

राजस्थान तरकार  
नगरीय किसात विभाग

१०५४८६ नविवि/३/९९

जयपुर, दिनांक १६.२.२००२

परिपत्र

इस विभाग के समर्तव्यक परिपत्र दिनांक २६.५.२००० में नगर विकास न्यात/प्राधिकरण/स्थानीय निकायों की उदाप्त या उदाप्ताधीन मूमि जिनमें उपेषाक्षि स्य अभूष्ट छाट कर खेल दिये गये हैं तथा जिन पर अंशात् या सप्तन रूप से मध्यन निर्माण हुए गये हैं में नियमन का नियमिक दर्शन का उधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। परिपत्र में उदाप्ताधीन मूमियों में जिनमें मुजाहिद का भूगतान कर दिया है अभवा अंशात् दिया जाना चाहिए है में भी उलग-उलग दरों का प्रावधान दिया गया है।

पुकरण पर समग्रता से विवार करने पर यह पाया गया कि यूकि मूमि उदाप्त अभिनियम के ऊन्नर्गति ५ संव ६ की उधिकारना राज्य तरकार के द्वारा न्यात/स्थानीय निकाय के निवेदन पर जारी की जाती है तथा उदाई की स्वीकृति भी राज्य तरकार के द्वारा ही दी जाती है ऐसी स्थिति में प्राधिकरण/न्यात/स्थानीय निकाय द्वारा उपलेस्तर पर उदाप्त या उदाप्ताधीन मूमियों का नियमन का नियमित नहीं है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्राधिकरण/न्यात/स्थानीय निकायों की उदाप्त उदाप्ताधीन मूमि में अंशात् रिवत मूमि या सप्तन निर्माण होने की दशा में उनके नियमन का प्रत्यावर्त उनके द्वारा लेने पर राज्य तरकार ते उनमति प्राप्त कर उनके द्वारा नियमन दिया जा सकेगा। किन्तु पदि निर्माण ५०८ ते उधिक मूमि पर है तो न्यात/प्राधिकरण या स्थानीय निकाय उपने हतार पर नियमित कर सकेंगे।

राज्य तरकार को उधिकार होगा कि जिन उदाप्ताधीन मूमियों पर प्राधिकरण/न्यात/स्थानीय निकायों के द्वारा काफी समय से योजना न तो बनाई गई है और अगर योजना बना दी है तो उसे उपरान्त नहीं दिया गया है तो ऐसी मूमियों पर राज्य सम्पर्क लानेदार या मूमियादार के प्राप्तेना पर गुण व दोष देखो एवं नियमन का आदेश संक्षिप्तभाब से दे गर्नें।

स्वतंत्री नियमित की इसी योजना में राज्यीय मूमि आ जाने पर उत्तरे नियमन औ प्रावधान है। इसे रूपरेखा दिया जाता है कि यदि योजना में भागित हाजकीय मूमि उपेषाक्षि तरकार होने के उल्लंघन रियमन स्थानीय निकाय/न्यात/जयपुर किसात प्राधिकरण कर सकेंगे तो उधिक मूमि होने या उत्तरे नियमन हेतु राज्य तरकार की स्वीकृति लेनी होगी।

राज्यपाल की जांचा तै,

१६.२.२००२  
१. सद. रत. मारदाब  
उप ग्रामन तार्गित।

अस्त्रीतिपि नियमनियम जो यूदनायी संघ उत्तराधीन उत्तरे दिया है।

१. शुक्र तार्गित, स्थानीय मुहममी महोदय, राजस्थान तरकार, जयपुर।

2. निर्विधि गटायड माननीय मंत्री महोदय, कारीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
3. निर्विधि माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
4. शासन निधि, राजस्थान, जयपुर ।
5. निर्विधि, शासन निधि, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर ।
6. तमस्त सभानीय आयुवत/जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इत आदेश की प्रतिनिधि समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका को ऊपर स्तर ते भिजवाने का ब्रम करें ।
8. शासन नगर विकास न्याय ।
9. राधित पत्रावली ।

16.2.72  
उप शासन निधि,